राजस्थान सरकार

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाडमेर

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1.गलाराम पुत्र तेजा जाति जाट, निवासी तारातरा मठ तहसील चौहटन, जिला बाडमेर	1.तेजा पुत्र रामा 2.सोनाराम पुत्र तेजा 3.तुलछा पुत्र रामा 4.अमेदाराम 5.बाबूलाल पि.हरजीराम 6.देवा 7.भारू 8.रेखा पि.जगू, जाति जाट, निवासी तारातरा मठ, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 9.तहसीलदार चौहटन

14/08/24 किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 243/24

प्रार्थी के वकील श्री हुकमसिंह गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के हक में कयास होता है, अतः जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विप्रार्थी सं. 1 को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबन्द किया जाता है कि तहसील चौहटन के मौजा तारातरा डेर के खसरा सं. 1077/305, 303, 304, 305, 306 रकबा क्रमशः 06.8635, 00.0324, 00.0405, 03.8040, 00.0486 हैक्टयर एवं मौजा तारातरा मठ के खसरा सं. 1261/215, 215, 936/22, 938/22 रकबा 03.8526, 10.8860, 00.4290, 00.4209 हैक्टयर भूमि पर मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी. नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 19.09.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

23/08/24 पत्रावली आज प्रार्थी मय वकील द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर तलब हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी द्वारा मूल वाद विड्रो किया जा चुका है, अतः आवेदक के आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर आवेदन जरिये विड्रो खारिज किया जा[illegible] सूचना होकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:05:11 IST
Reason: SelfAttested